



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275145
CG-DL-E-04082026-275145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4084]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948

No. 4084]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4260(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1507 (ई) दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा केरल राज्य में स्थित एनएच-66 (पुराना 47) के कर्नाटक/केरल सीमा-कासरगोड-कन्नूर-पोन्नानी-एडप्पल्ली खंड पर किमी. 18.050 से किमी. 95.650 तक, किमी. 96.450 से किमी. 170.600, कि.मी. 184.600 से कि.मी. 186.105, कि.मी. 188.000 से कि.मी. 230.400 एवं कि.मी. 258.800 से कि.मी. 438.827) तक के शेष आंशिक खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के कप्पिरिक्काड से कोडुंगल्लूर खंड (डिज़ाइन किलोमीटर 335.850 से 397.750, मौजूदा किलोमीटर 349.260 से 411.850) तक के चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 39.881 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-2] और 23.09 किमी (2.309 किमी लंबाई वाली [सारणी-4]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 19.710 किलोमीटर लंबाई वाले बाईपास [सारणी -3] के लिए आधार दर का डेढ़ गुणा से शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृति और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी - 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	वह दर जिस पर शुल्क देय है
केरल राज्य के त्रिशूर जिले के नट्टिका गांव में एनएच-66 के डिजाइन किमी 347.740 (मौजूदा चेनेज किमी 369.500) पर	39.881	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर होगा :-

सारणी 3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर, जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (किमी. में) * 60 मीटर से अधिक लम्बाई वाले संरचना को छोड़कर)	लागत (करोड़ रुपए में)	
केरल राज्य के त्रिशूर जिले के नट्टिका गांव में एनएच-66 के डिजाइन किमी 347.740 (मौजूदा	चवक्कड	349.800	351.840	1.918	13.91	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	वडानपल्ली	360.880	367.030	6.076	41.93	
	त्रिप्रायर	370.400	374.100	3.626	23.34	
	चेन्नप्पिन्नी	376.650	378.640	1.990	12.56	

चेनेज किमी 369.500) पर	मूनुपीडिका	381.680	384.320	2.640	16.66	
	मथिलाक्कम	385.240	390.020	3.460	30.16	
कुल				19.710	138.56	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी 4			
प्लाजा शुल्क (चेनेज) का स्थान	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
केरल राज्य के त्रिशूर जिले के नट्टिका गांव में एनएच-66 के डिजाइन किमी 347.740 (मौजूदा चेनेज किमी 369.500) पर	2.309 ^	23.090	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

संरचनाओं^ का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	60 मीटर से ज़्यादा लंबाई वाली संरचना			
	संरचना का स्थान (चेनेज किमी.)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी.)
1	350.720	350.842	बड़ा पुल	0.123
	350.743	350.865		
2	355.757	356.097	बड़ा पुल	0.340
3	364.349	364.423	फ्लाईओवर	0.074
4	371.258	371.332	फ्लाईओवर	0.074
5	387.181	387.281	बड़ा पुल	0.100
6	388.865	390.085	फ्लाईओवर सह वायाडक्ट	1.220
7	393.850	394.150	फ्लाईओवर सह वायाडक्ट	0.300
8	396.849	396.927	फ्लाईओवर	0.078
कुल				2.309

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000 रुपये (तीन सौ साठ रुपये मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी – 5		
देय राशि	अधिकतम एकतरफा यात्रा की अनुमति	वैधता की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तिथि से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी- 1 यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी .शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 10301.98 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. केआरडीआईवी-20013/17/2025-पीआईयू कोचीन-1 (ई-266423)]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4260(E).—Whereas by notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1507 (E), dated the 12th May, 2020 issued under Section 11 of the National Highway Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the remaining partial stretches of NH-66 (Old 47) from Karnataka/Kerala border- Kasaragod- Kannur- Ponnani- Edappalli section from Km.18.050 to Km. 95.650, Km. 96.450 to km. 170.600, Km. 184.600 to Km. 186.105, Km. 188.000 to Km. 230.400 & Km. 258.800 to Km. 438.827) situated within the state of kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 39.881 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 23.09 km (having length of 2.309 Km [Table-4]) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 19.710 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane of Kappirikkad to Kodungallur section from design Kilometer 335.850 to Kilometer 397.750 (existing km 349.260 to km 411.850) of National Highway 66 in the State of Kerala and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

Table -1	
Type of vehicle	Base rate fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, or Light Motor vehicle	0.65
Light commercial vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axles commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axle vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Toll Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 347.740 (existing chainage km 369.500) of NH-66 at village Nattika in District Thrissur in the State of Kerala	39.881	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging At	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which Fee is payable
				Length (in Km.)* Excluding Structures >60 m length)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 347.740 (existing chainage km 369.500) of NH-66 at village Nattika in District Thrissur in the State of Kerala	Chavakkad	349.800	351.840	1.918	13.91	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Vadanapally	360.880	367.030	6.076	41.93	
	Thriprayar	370.400	374.100	3.626	23.34	
	Chentrappinni	376.650	378.640	1.990	12.56	
	Moonupeedika	381.680	384.320	2.640	16.66	
	Mathilakam	385.240	390.020	3.460	30.16	
Total				19.710	138.56	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures^ (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which Fee is payable
At Design Km 347.740 (existing chainage km 369.500) of NH-66 at village Nattika in District Thrissur in the State of Kerala	2.309^	23.090	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures are as under:-

S. No.	Structure having length more than 60 m			
	Location of Structure (Chainage Km.)		Type of Structure	Length (Km.)
1	350.720	350.842	Major Bridge	0.123
	350.743	350.865		

2	355.757	356.097	Major Bridge	0.340
3	364.349	364.423	Flyover	0.074
4	371.258	371.332	Flyover	0.074
5	387.181	387.281	Major Bridge	0.100
6	388.865	390.085	Flyover cum Viaduct	1.220
7	393.850	394.150	Flyover cum Viaduct	0.300
8	396.849	396.927	Flyover	0.078
Total				2.309

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 360 (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two – third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rs. 10301.98 crores**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. KRDIV-20013/17/2025-PIU Cochin-I (E-266423)]

CHETNA NAND SINGH, Jt.Secy.